



जनद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 24.06.22

थाना कविनगर पुलिस द्वारा बांके बिहारी शिव मंदिर कृष्णा गार्डन गोविन्दपुरम से लड्डू गोपाल की मूर्ति व माता की आँखे चोरी करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व अभियुक्त की निशा देही पर चोरी की गयी मूर्ति व माता की आँखे बरामद ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा चोरी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगरश्रीमान क्षेत्राधिकारी कविनगर के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा , 780 थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0/भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 379 धारा 22 नवनीत मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी गांव कटरी थाना पश्चिम सरीरा जिला कौशाम्बी हाल पताबाला जी - बिहार अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद को कृष्णा गार्डन गोविन्दपुरम थाना क्षेत्र कविनगर से आज दिनांक 24.06.11 को समय करीब 22.जिसकी निशा दे , बजे गिरफ्तार किया गया 00ही पर बांके बिहारी मंदिर कृष्णा गार्डन गोविन्दपुरम थाना क्षेत्र कविनगर से चोरी की गयी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पीतल की व माता नेना देवी की पीली धातू की आँखे बरामद की गयी । अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक19 .06.को वादी मुकदमा श्री जयदत्त गौड उर्फ सौरभ शर्मा निवासी बांके बिहारी शिव मंदिर कृष्णा 22 गार्डन गोविन्दपुरम थाना कविनगर गाजियाबाद ने थाना कविनगर पर लिखित सूचना दी कि श्री बांके बिहारी शिव मंदिर कृष्णा गार्डन से किसी अज्ञात चोरी द्वारा माता नेना देवीकी सोने की आँखे व भगवान लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति चोरी कर ली गयी है इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 , 780/भादवि पंजीकृत किया गया तथा उक्त घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन किया गया तथा 379 धारा 22 मुखबिर मामूर किये गये । पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए मंदिर मे चोरी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त नवनीत मिश्रा उपरोक्त श्री बांके बिहारी शिव मंदिर कृष्णा गार्डन गोविन्दपुरम मे करीब साल तक रहा 8 तथा वही रहकर वादी मुकदमा श््री जयदत्त गौड उर्फ सौरभ शर्मा से पूजा पाठ आदि की दीक्षा ग्रहण की तथा यह मंदिर सम्बन्धी हर छोटी से छोटी बातो को जानता था एवं करीब माह पहले नवनीत मिश्रा को उसकी गलत आदतो 2 के चलते वहां से निकाल दिया गया था । नवनीत मिश्रा एक आपराधिक मानसिव प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके चलते इसने योजना बनायी कि अगर मैं उक्त मंदिर से लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तथा माता नेना देवी की आँखे निकाल लूंगा तो कमैटी के लोगो व आस पास लोगो को यह लगेगा कि जयदत्त गौड उर्फ सौरभ शर्मा द्वारा उक्त घटना को अंजाम

दिया है तथा जयदत्त गौड उर्फ सौरभ शर्मा को मंदिर से लोग हटा देगे तथा मुझे वहां पर रख लेगे इस लालच के चलते अभियुक्त नवीनत मिश्रा द्वारा दिनांक 18/19.06.की रात्रि मे मंदिर मे घुस कर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पीलत 22 की व माता नेना देवी की आँखे जो सोने की थी को चुरा लिया ।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करने तथा चोरी की गयी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति व माता नेना देवी की आँखे बरामद करने के सम्बन्ध मे श्री बांके बिहारी शिव मंदिर कृष्णा गार्डन गोविन्दपुरम कमैटी द्वारा थाना कविनगर पुलिस टीम का सम्मान किया गया है । मंदिर कमैटी व आस पास लोग घटना के अनावरण से बहुत खुश है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

नवनीत मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी गांव कटरी थाना पश्चिम सरीरा जिला कौशाम्बी हाल पताबाला जी - वर्ष । 19 बिहार अर्थला थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र

मोबाईल लूट करने वाले अभि को लूटे 0गये मोबाईल सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनीराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन मे तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी की पुलिस टीम द्वारा थाना सिहानीगेट के मु343 0अ0स0/भादवि मे लूटे गये सैमसंग मोबाईल 392 धारा 022 नवीन को मुखबिर की सूचना पर शिबनपुर पार्क पटेलनगर सहित अभि0से बीती रात 00.बजे गिरफ्तार 50 किया गया ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

श्री कामील पुत्र कामिल नि कैला देहात थाना विजयनगर गा0बाद द्वारा दाखिल तहरीर बावत दि0 40 म0न0 0 23/06/ को पटेल मार्ग 022SBI बैंक के सामने अज्ञात व्यक्ति द्वारा कामिल की साईकिल मे लात मारकर उसका मोबाईल फोन सैमसंग छीन ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सिहानीगेट मे मु 0अ0स0-343/भादवि 392 धारा 022 घन्टे के अन्दर ही लूटे गये सैमसंग मोबाईल सहित 05 पंजीकृत किया गया था पुलिस टीम द्वारा तत्परता से करीब नवीन को मुखबिर की सूचना पर शिबनपुर पार्क पटेलनगर अभि0 से बीती रात 00.बजे गिरफ्तार किया गया । 50 नवीन ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि यह मोबाईल मैने अभि0 SBI पटेल मार्ग से छीना था ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

नवीन पुत्र गंगा शरण नि0-मशिबन सिंह स्कूल के पास शिबनपुरा थाना सिहानीगेट गा0बाद 591 0न0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उश्री विपिन कुमार थाना सिहानी गेट 0नि0
- 2.हेफरमान अली थाना सिहानी गेट 1125 0का0
- 3.काजावेद अली थाना सिहानी गेट 01987

बरामदगी-

01मोबाईल सैमसंग सम्बन्धित मु0अ0स0-343/ 392 धारा 022/ 411भादवि थाना सिहानीगेट

आपराधिक इतिहास-

मु 0अ0स0-343/ 392 धारा 022/

411भादवि

कार के नाजायज चाकू सहित किया गिरफ्तार 01 टायर व 02 को मय टायर चोरी करने वाले अभि0 02

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद श्री मुनीराज जी आईपीएस के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री निपुण अग्रवाल आईपीएस के दिशा निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिहानीगेट श्रीमति आलोक दूबे के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी की पुलिस टीम द्वारा थाना सिहानीगेट के मु337 0अ0स0/भा 381 धारा 022दवि में कार से चोरी टायर 02 23 अन्नू उर्फ लालू को मुखबिर की सूचना फव्वारा चौक से बीती रात नाजायज चाकू सहित सहित अभि0 01 व. 10 बजे गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

श्री अरविन्द्र पवार पुत्र श्री मांगेराम नि ने दि0 766818189495 गांव टान्डा माजरा जिला मु0नगर मो0नं0 0 22/06/लालू पता अज्ञात द्वारा वादी की गाडी न0 को थाने पर तहरीर दी कि वादी के ड्राईवर अभि0 022-UP15TC1448 से नये टायर निकलवाकर पुराने टायर डलबा दिये हैं जिसके आधार पर मु337 0अ0स0/ धारा 22 भादवि बनाम लालू पंजीकृत किया गया था। विवेचना 381के क्रम में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बीती रात 23.नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया और पुलिस पुछताछ 01 बजे फव्वारा चौक के पास से मय 10 टायर को अपने घर 02 द्वारा चोरी किये गये उपरोक्त में अभि0F 249 उदलनगर से बरामद कराया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

अन्नू उर्फ लालू पुत्र स्व0-सुशील निवासी एफ -249 उदल नगर पटेलनगर थाना सिहानीगेट गा 0बाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- शरणवीर सिंह थाना सिहानी गेट उ0नि0 1
- हेनीरू सिंह थाना सिहानी गेट 1412 0का0
- हेश्यामबाबू थाना सिहानी गेट 1321 0का0

बरामदगी-

- दो टायर MRF सम्बन्धित मु337 0अ0स0/ 381 धारा 2022/ 411भादवि थाना सिहानीगेट
- नाजायज चाकू सम्बन्धित मु0अ0स0 01-344/4 धारा धारा 022/25 A ACT थाना सिहानीगेट

आपराधिक इतिहास-

- मु337 0अ0स0/ 381 धारा 22/भादवि 411
- मु344 0अ0स0/4 धारा धारा 022/25 A ACT

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 780/22 धारा 379/411 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी की गयी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति पीली धातू मय बांसूरी ।
2. चोरी किये गये माता नेनी देवी के नेत्र पीली धातू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 नरपाल सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद।
3. उ0नि0 जयवर्धन सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद ।
4. है0का0 467 अरविन्द कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
5. का0 1381 मुकेश कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
6. का0 2131 तेज कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
7. का0 1619 विजय कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
8. का0 1055 जोनी कुमार थाना कविनगर गाजियाबाद ।
9. का0 771 नरेन्द्र बघेल थाना कविनगर गाजियाबाद

थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद पुलिस एक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों व तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ट्रांस हिण्डन महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में दिनांक 24.06.2022 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 209/22 धारा 302 भादवि में वांछित चल रहे अभि0 सुरेन्द्र यादव पुत्र पुनदेव यादव नि0 म0नं0 326 ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण: -

ने पूछताछ पर बताया कि मेरी ग्राम झण्डापुर में अभि०लकड़ी की टाल है। दिनांक 06/07.06.की 2022 02 रात्रि करीब.बजे हमारी टाल म 45ेँ एक चोर घुस आया हल्ला मचा मुझे पता लगा फिर मैं भी टाल पर पहुंचा, टाल पर हमारी लेबर अरविन्द पांडेय पुत्र विजय पांडेय जो बलिया का रहने वाला है तथा ड्राइवर बदन सिंह पुत्र राजकिशोर सिवान बिहार का रहने वाला है इन दोनो ने चोर को पकड़ा हुआ था। हमारे द्वारा उक्त चोर के साथ मारपीट की गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -:

1.सुरेन्द्र यादव पुत्र पुनदेव यादव नि० म०नं० 326 ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड गा०बाद मूल पता ग्राम डीबी पोस्ट मेरही थाना एमएच नगर हसनपुरा जिला सिवान बिहारा

गिरफ्तारी घटनास्थल

सीएल कम्पनी के सामने ग्राम झण्डापुर
दिनांक .240.62022 समय 11.55 बजे

आपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु०अ०सं० 209/22 धारा 302/34 भादवि थाना लिंक रोड़ गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम -

प्रश्री मनीष बिष्ट 0नि०
व श्री विनय सिंह 0उ०नि०
कामनीष कुमार 3796 0
कासुमित कुमार 3795 0

मु०अ०सं० 1711/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी गाजियाबाद से सम्बन्धित वांछित दो अभि०गणों ने किया आत्मसर्पण ।

दिनांक 20.12. को थाना लोनी जनपद गाजियाबाद में अभि०गण कपिल आदि के विरुद्ध मु०अ०सं० 21 1711/2 धारा 21/1 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था जिसमें 3- कपिल पुत्र जयपाल उर्फ जगतसिंह निग्राम रिस्तल 0 2 थाना टीला मोड गाजियाबाद- सागर पुत्र तेजपाल उर्फ तेजसिंह निग्राम र 0िस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद दिनांक 20.12.से ही वांछित चल रहे थे । जिनकी धरपकड़ हेतु थाना लोनी व थाना लोनी बोर्डर पुलिस तभी से 21 सक्रिय थी एवं पकड़ने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे थे । शासन व प्रशासन द्वारा समाज में भयमुक्त माहौल बनाने हेतु चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्ती से कार्यवाही की नीति को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 24.06.12 को समय 22.1 बजे मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभि०गण 05- कपिल पुत्र जयपाल उर्फ जगतसिंह नि2 ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद 0- सागर पुत्र तेजपाल उर्फ तेजसिंह निग्राम रिस्तल 0 पैदल चलकर अपने सीने पर तख्ती लगाये जिस -थाना टीला मोड गाजियाबाद लोनी डिपो की तरफ से स्वयं पैदल

(थाना लोनी बोर्डर पर आत्मसमर्पण करने आया हूँ मैं आज के बाद जीवन में कोई अपराध नहीं करूंगा) पर लिखा ने आकर थाना लोनी बोर्डर पर थानाध्यक्षके समक्ष आत्मसमर्पण किया। जिनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: -

अभियुक्तगण से गहनता से पूछताछ पर अभियुक्तगणों ने बताया कि हमारे विरुद्ध थाना लोनी गा0बाद में गैंगस्टर एक्ट का एक मुकदमा पंजीकृत है जिसमें हमें गिरफ्तार करने के लिए थाना लोनी व थाना लोनी बोर्डर गा0बाद की पुलिस पीछे पड़ी थी। हम आये दिन अखबारों में एवं न्यूज के जरिये देखते थे कि यूपी पुलिस शासन व प्रशासन द्वारा समाज में भयमुक्त माहौल बनाने हेतु चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्ती से कार्यवाही की नीति को दृष्टिगत अपराधियों पर सख्त कार्यवाही कर रही है इसीलिए हम दोनों लोग डर गये थे उस प्रकार की कार्यवाही से बचने हेतु आज हम लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बनायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

- 1- कपिल पुत्र जयपाल उर्फ जगतसिंह नि0 ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद
- 2- सागर पुत्र तेजपाल उर्फ तेजसिंह नि0 ग्राम रिस्तल थाना टीला मोड गाजियाबाद

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास: -

- 1- मु0अ0सं0 1711/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 1097/20 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना लोनी गा0बाद।

POLICE CRACKDOWN

थाना लोनी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान थाना ट्रोनिकासिटी में हुई लूट का वांछित लुटेरा गिरफ्तार

दिनांक 23/06/2022 को थाना लोनी पुलिस द्वारा उच्चाधिकारीगण के आदेशानुसार ड्रिंक एण्ड ड्राईव में टीम बनाकर राशिद अली गेट पर पहुँच कर चैकिंग करने लगे। तभी बिना नम्बर प्लेट लगी एक कार थाना ट्रोनिकासिटी की ओर से आते दिखाई थी जिसको चैकिंग हेतु रुकने का इशारा किया तो अपनी कार को तेजी से, से राशिद गेट की ओर से गढी सबलू की ओर मोडकर भागने लगा शक बदमाश होने पर हम पुलिस वालों के द्वारा भाग रहे व्यक्ति का पीछा किया और बुलंद आवाज में रुकने को कहा तो कार सवार और तेजी से गढी सबलू की ओर भागने लगा जिसकी सूचना जरिए आर टी सैट थाना तथा उच्चाधिकारी गणों को दी गई कुछ दूर भागने के पश्चात गढी सबलू गांव से पहले मार्ग अवरुद्ध होने के कारण कार चालक के द्वारा अपनी कार को सडक से नीचे बाईं तरफ उतारा तो कार रेतमिट्टी में फस गई अपने पीछे पुलिस को आता देख व अपने आप को घिरता देख भागने लगा कार सवार कार से / नीचे उतरकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से सीधा फायर करते हुए भागने लगा। जिसमें हम पुलिस वाले बालबाल बच गए तथा सीखे हुए तरीके से भाग रहे बदमाश का पीछा करने लगे। जिसके बाद मेरे द्वारा बुलद -

आवाज में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहे व्यक्ति से कहा गया कि वह आत्मसमर्पण कर दे लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और जैसे की हम लोग उसकी तरफ गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े तो उसने हम पुलिस वालों की ओर जान से मारने की नियत से पुनः फायर कर दिया और कोई चारा न देखते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जबाबी कार्यवाही में पुलिस पार्टी पर फायर कर रहा बदमाश की तरफ से फायर आना बन्द हो गया और कराहने की आवाज आई, इस पर हम पुलिस वाले सीखे हुए तरीके से उसके पास जाकर दिनांक 24.06. 2022 समय रात्रि .0030 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा देखा कि बदमाश के बाँए पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है तथा खून निकल रहा है मौके पर ही इस व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम रवि कुमार पुत्र गजराज निवासी अमन विहार किरारी सुलेमान नगर दिल्ली वर्ष 35 उम्र - बताया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद से लूट में वांछित चल रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता

रवि कुमार पुत्र गजराज सिंह निवासी बी -33 अमन विहार किरारी सुलेमान नगर उत्तरी दिल्ली

अभि से 0बरामदगी का विवरण

- 1- एक अदद सेंट्रो कार
- 2- 01 तमंचा 315 बोर
- 3- 03 कारतूस) -01 खोखा व 02 जिंदा (

अपराधिक इतिहास अभियुक्त रवि कुमार पुत्र गजराज

- 1 मु0अ0स0.029255/17 धारा -379/411/482/201 IPC थाना मोतीनगर दिल्ली
- 2 .मु0अ0स0.0070/18 धारा -392/394/397/411/34 IPC थाना प्रशांत विहार दिल्ली
- 3 .मु0अ0स0.5848/15 धारा -379 IPC दिल्ली
- 4 .मु0अ0स0.5845/15 धारा -379 IPC दिल्ली
- 5 .मु0अ0 स0 . DD n. 41a/15 धारा -41.1 crpc दिल्ली
- 6 .मु0अ0स0 . DD n. 40a/15 धारा -41.1(D) crpc दिल्ली
- 7 .मु0अ0स0.0619/21 धारा -392/34 IPC थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद
8. मु716 0अ0सं0/भादवि थाना लोनी गा0बाद 307 धारा 2022
9. मु717 0अ0सं0//3 धारा 20225/27 आर्म्स एक्ट थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.SHO श्री अजय चौधरी लोनी गा0बाद
- 02-उ0नि0 अमित प्रताप सिंह चौकी प्रभारी अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद
- 03-उ0नि0 अखिलेश कुमार चौकी प्रभारी लोनी तिराहा

04-उ0नि0 अमित शर्मा चौकी इंचार्ज डाबर तालाब थाना लोनी

05- उ यूटी विकास 0नि0

06 - उ यूटी अंकुर राठौर 0नि0

07- का राजू 1287 0

08- कानीरज भाटी 2506 0

09 -रिअजीत 689 0का0

10-रिशैलेन्द्र 678 0का0

11- का विकास बालियान 1219 0

**थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वाला नफर अभियुक्त मय 0148 पच्वा
देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार ।**

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान नफर 01अभि0 आशिफ पुत्र हसमत निवासी मुनक्वर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद को मय पच्वा देशी शराब असली संतरा रसीला 48 हरियाणा मार्का सहितपानी की टंकी के सामने मुस्तफाबाद चौकी कस्बा से दिनांक 24.06.10 समय करीब 2022.बजे 00 गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -

आशिफ पुत्र हसमत निवासी मुनक्वर मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद ।

मु0अ0सं0/720 2022 धारा 60/ 63 Ex.ACT.थाना लोनी जनपद गा0बाद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गाजियाबाद

2उ श्री 0नि0नरेन्द्र कुमार चौकी प्रभारी कस्बा थाना लोनी गाजियाबाद

3.है 961 0का0ऋषिपाल सिंह

5.है ओमकार 921 0का0सिंह

बरामदगी:-

पच्वे देशी शराब असली संतरा रसीला हरियाणा मार्का 48 नाजायज बरामद होना ।

**थाना लोनी पुलिस द्वारा नशे का कारोबार करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मय ग्राम 110नशीला
पाउडर एल्प्राजोलम व एक चोरी की कार सहित गिरफ्तार**

श्री मुनिराज जी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा नशे का कारोबार करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी

लोनीमहोदय के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध अस्लाहो का कारोबार करने वाले शातिर किस्म के अभियुक्त अनिल उर्फ मोनू पुत्र प्रदीप यादव निवासी डी-2/201 रामेश्वर पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा 0बादको मय ग्राम नशीले पाउडर एल्प्राजोलम 110 व एक सैन्ट्रो कार चोरी की मय फर्जी नम्बर प्लेट नं 0DL5CJ6195 जिसका असली रजि 0न 0 DL2CAD 8688इंजन न 0G4HG7M व चेचिस न0 169496MALAB51HR7M147914 के साथ लोनी से खजूरी पुस्ता रोड सीमेन्ट रोड कट पर चौकी क्षेत्र चौकी डीएलएफ से दिनांक 24. को 06.2022गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

अनिल उर्फ मोनू पुत्र प्रदीप यादव निवासी डी-2/201 रामेश्वर पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गा 0बाद मु718 0अ0सं0/8 धारा 22/ 22NDPS.ACT थाना लोनी गा0बाद ।

मु719 0अ0सं0/482 धारा 22/411/ भादवि थाना लोनी गा0बाद । 414

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अजय चौधरी थाना लोनी गा0बाद
2. उ 0नि0 मईयादीन सिंह चौकी प्रभारी डीएलएफ थाना लोनी गा 0बाद
- .3है0का0 सुभय 632 सिंह
4. कानितिन कुमार 2909 0
5. का सुबोध कुमार 1582 0

बरामदगी का विवरण:-

अभिग्राम नशीले पाउडर एल्प्राजोलम नाजायज व एक सैन्ट्रो कार चोरी की मय फर्जी 110 के कब्जे से 0 नम्बर प्लेट नं0DL5CJ6195 जिसका असली रजि न0 0DL2CAD 8688इंजन न 0G4HG7M 169496 व चेचिस न0MALAB51HR7M147914 बरामद ।